भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4935
दिनांक 23.07.2019/1 श्रावण, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

पुडुचेरी को राज्य का दर्जा

†4935. श्री वी॰ वैथिलिंगमः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पुडुचेरी सरकार ने अपनी विधानसभा के माध्यम से पुडुचेरी को राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को पारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री को पुडुचेरी को राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में सर्वदलीय ज्ञापन सौंपा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या पुडुचेरी को राज्य का दर्जा दिए जाने का मामला केन्द्र सरकार के पास काफी समय से लंबित पड़ा है और यदि हां, तो सरकार पुडुचेरी को कब तक राज्य का दर्जा प्रदान कर सकती है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): पुदुचेरी विधान सभा ने पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने का अनुरोध करने वाले प्रस्ताव पारित किए हैं। इनमें से नवीनतम एक प्रस्ताव दिनांक 19.07.2018 का है। प्रस्ताव पर इस मंत्रालय में विचार किया गया था और मौजूदा व्यवस्था जारी रखने का निर्णय लिया गया था। अत:, पुदुचेरी को राज्य का दर्जा प्रदान करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचार हेतु लंबित नहीं है।

****